लिये किस औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नही होती । बहरहाल, इस प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, विदेशी सहयोग आदि के लिये मंजूरियां दी गई हैं। 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे 7-7 प्रस्तावों को मंजरी दी गई है । कार्यान्वित होने पर मध्य प्रदेश में इन यूनिटों में 1317 व्यक्तियों को और उत्तर प्रदेश में 870 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है । अनुमान है कि 5 वर्ष की अवधि में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रमश: लगभग 1292 करोड़ रुपये और 650 करोड़ रु० का निर्यात किया जायेगा ।

**Raising the capital investment, in Ice-cream manufacture industry**

3614. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is being considered to raise the quantum of basic capital investment in the Ice-cream manufacturing industries of the country;

(b) if so, what is the proposed quantum of maximum capital investment in case of each of the industrial units;

(c) whether it has also been proposed to give exemption to such Ice cream manufacturers whose capital investment is to be raised to sell upto 50 per cent of their total production in the domestic market;

(d) if so, whether Government propose to announce some incentives for the protection of industrial units presently engaged in the Ice-cream Manufacturing, with small capital investment; and

(e) if so, what are the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (b) Manufacture of ice cream is reserved for exclusive development in the small scale sector. As per the policy invogue the investment limit for ice) cream industry is Rs. 60 lakhs i.e. the investment limit for SSI unit. As per the current policy there is no change in the investment limit for ice cream industry in the small scale sector.

**आइसक्रीम उद्योग में पूंजी निवेश**

3615. श्री मती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आइसक्रीम निर्माण के लिये वर्तमान पजी निवश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये कर देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना होगी;

(ग) यदि हां, तो इन बड़ी परियोजनाओं द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग कर कुल कितनी मात्रा में वार्षिक उत्पादन किये जाने की संभावना है और आइसक्रीम के उत्पादन के लिये एक परियोजना के मामले में कुल कितनी मात्रा में कच्चे दूध, की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान देश में आइसक्रीम के निर्माण में कुल दूध के उत्पादन में से औसतन कितने प्रतिशत दूध वार्षिक उपयोग किया जाता रहा है, यदि हां, तो यह मात्रा कितनी है ; और

(ङ) इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार द्वारा आइसक्रीम निर्माण के क्षेत्र में बड़ी अतिरिक्त परि-योजनाओं की स्थापना की अनुमति देने के कारण देश में दूध की कमी होने तथा उसकी कीमतें बढ़ने के बारे में कोई अनुमान लगाया गया हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?